

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- एडीजीपी/सीआर/विविध/पीए/14/ १३ - १२०

दिनांक: 24.01.2014


आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी में संशोधन बाबत।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक व-15 (1076) न.नि.पु./सू.अ./अ.शा./2012/4337-4497 दिनांक 03.09.2012 की तालिका की पंक्ति (row) संख्या 3 के कॉलम संख्या 1 से 4 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	शाखा का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी	राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	2	3	4
2	सिविल राईट्स	पुलिस अधीकारक सिविल राईट्स राज., जयपुर।	अतिरिक्त पुलिस अधीकारक सिविल राईट्स राज., जयपुर।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।



 (ओमेन्द्र भारद्वाज)
 महानिदेशक पुलिस,
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशकगण पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षकगण पुलिस, राजस्थान मय जीआरपी/पुलिस आयुक्त, जयपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षकगण पुलिस, राजस्थान/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. पुलिस अधीकारक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सी.बी., राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त पुलिस अधीकारगण, राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने स्तर पर सूचित करें।
6. समस्त कमाण्डेन्ट्स, आर.ए.सी., बटालियन्स मय एमबीसी, खैरयाका एवं हाड़ी रानी बटालियन, अजमेर/आई.आर.बटालियन/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/मोटर ड्राइविंग स्कूल, जीकानेर।
7. उप शासन सचिव, गृह (गुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीकारक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सी.बी., राज०, जयपुर।
9. स्टेट कन्ट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी वेबसाइट सील, पुलिस दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर को उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी, "अ" ब्रान्च, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।


 महानिदेशक पुलिस,
 राजस्थान, जयपुर।